



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
में मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के लिए
युवा संसद प्रतियोगिता की योजना

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय
(युवा संसद अनुभाग)
2009

शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के
विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता योजना

.....

- उद्देश्य:** लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने, अनुशासन की स्वस्थ आदतों को मन में बैठाने, दूसरों के विचारों के प्रति उदारता और संसद के कार्यचालन के बारे में विद्यार्थी समुदाय को जानकारी देने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्रालय (इसमें इसके पश्चात मंत्रालय के रूप में निर्दिष्ट है) द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सहयोग से प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।
- प्रतियोगिता में प्रवेश के लिए पात्रता:** शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के विद्यालय इस प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र होंगे। प्रत्येक वर्ष की प्रतियोगिता में प्रतिभागिता के लिए चुने जाने वाले विद्यालयों की संख्या और श्रेणी का निर्णय मंत्रालय के परामर्श से शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा किया जाएगा।
- अवधि जिसके दौरान युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी:** युवा संसद की प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का विस्तृत कार्यक्रम संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाएगा और इसे प्रतियोगिता में भाग लेने वाली संस्थाओं को प्रतियोगिता के प्रारंभ से यथासमय पूर्व परिचालित किया जाएगा।
- युवा संसद में प्रतिभागियों की संख्या:** प्रत्येक टीम में लगभग 50-55 विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं जिनमें से प्रत्येक को उपयुक्त भूमिका सौंपी गई हो।
- युवा संसद सत्र की अवधि:** युवा संसद सत्र की अवधि 55 मिनट से अधिक की नहीं होगी। इसमें से लगभग 12 से 15 मिनट प्रश्न काल को दिए जाने चाहिए। विभिन्न दूसरी संसदीय मदों को दर्शाने के लिए प्रत्येक मद पर लगाए गए समय के अनुसार उचित संतुलन सुनिश्चित करने के लिए शेष अवधि को उचित रूप से उपयोग में लाया जाए।
- युवा संसद में चर्चा हेतु विषय:** युवा संसद की बैठकों में दर्शाए जाने वाली विभिन्न मदों के विषय/प्रसंग के लिए कोई विशेष अनुबंध नहीं है। तथापि, यह वांछनीय होगा कि लोक कल्याण, सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भावना, आर्थिक विकास, विद्यार्थी समुदाय, मानवाधिकार इत्यादि जैसे विषय चुने जाएं।

7. **भाषा:** प्रतियोगिता में भाग लेने वाले, अपनी पसंद के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में बोल सकते हैं।

8. **युवा संसद का स्थान:** प्रत्येक संस्था अपनी युवा संसद की बैठक अपने परिसर में ही आयोजित करेगी। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अपने परिसर में बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता हो तो किसी अन्य उचित स्थान पर उसका आयोजन किया जा सकता है। अपने परिसर से बाहर किसी अन्य स्थान पर बैठक के आयोजन के मामले में मंत्रालय को उसकी सूचना बैठक की वास्तविक तारीख से यथासमय पूर्व दी जानी चाहिए।

9. **अभिविन्यास पाठ्यक्रम:** प्रत्येक वर्ष की प्रतियोगिता प्रारंभ होने से पहले मंत्रालय उस वर्ष के लिए प्रतियोगिता में प्रतिभागिता के लिए चुने गए विद्यालयों के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन करेगा।

10. **पुरस्कार:** प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे:-

- (i) प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालय के लिए 'पंडित मोतीलाल नेहरू संसदीय चल वैजयंती' और एक अतिरिक्त ट्रॉफी। यदि कोई विद्यालय इस शील्ड को लगातार तीन वर्षों तक जीतता है तो यह शील्ड उस विद्यालय द्वारा स्थायी रूप से रखी जाएगी।
- (ii) एक ट्रॉफी शिक्षा जिले के लिए, जो कि उस जिले के अंतर्गत विद्यालयों द्वारा प्रदर्शन के लिए प्राप्त अंकों के आधार पर सबसे उत्तम पाया जाए।
- (iii) प्रतियोगिता में सराहनीय प्रदर्शन के लिए भाग लेने वाले विद्यालयों में से योग्यता क्रम में 25% विद्यालयों को ट्रॉफियां (प्रथम स्थान पर आने वाले विद्यालय को छोड़कर)।
- (iv) एक ट्रॉफी उस विद्यालय के लिए, जो प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने वाले विद्यालयों में प्रथम आया हो।
- (v) प्रत्येक टीम से चुने गए विद्यार्थियों को मैडल/कप/पुस्तकों के रूप में व्यक्तिगत योग्यता पुरस्कार (प्रत्येक टीम में अधिकतम आठ पुरस्कार)।
- (vi) प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर टीम के प्रत्येक सदस्य को टीम पुरस्कार और पुरस्कार वितरण समारोह में युवा संसद की बैठक प्रस्तुत करना।

11. **प्रमाणपत्र:** निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा:
- प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यालय के प्रभारी अध्यापक (केवल एक प्रभारी अध्यापक)।
 - पैरा 10(v) और (vi) में उल्लिखित व्यक्तिगत योग्यता पुरस्कारों के लिए चुना गया प्रत्येक विद्यार्थी।
12. **निर्णायकों की समिति:** प्रत्येक विद्यालय के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए निर्णायकों की समिति का गठन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा जिसमें सामान्यतः निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:-
- एक संसद सदस्य/पूर्व संसद सदस्य/विधायक;
 - मंत्रालय से एक अधिकारी; और
 - शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का एक अधिकारी।
13. **योग्यता सूची तैयार करने के लिए तथ्य:** संस्थाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते समय निर्णायक समिति निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी:-

| | <u>अंक</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) अनुशासन और शिष्टाचार | 10 |
| (2) संसदीय प्रक्रिया का पालन | 20 |
| (3) प्रश्नों और अनुपूरक प्रश्नों के लिए विषयों का चयन तथा उनके उत्तरों की गुणवत्ता | 20 |
| (4) वाद-विवाद के लिए विषयों का चयन | 10 |
| (5) दिए गए भाषणों की अदायगी/गुणवत्ता तथा वाद-विवाद का स्तर | 30 |
| (6) सारे अभिनय का समग्र रूप में सामान्य मूल्यांकन | 10 |

जोड़ 100

14. **पुनः प्रदर्शन:** संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा निश्चित किए गए स्थान पर आयोजित किए जाने वाले पुरस्कार वितरण समारोह में प्रथम पुरस्कार विजेता संस्था को अभिनय का पुनः प्रदर्शन करना होगा। इस अभिनय के समय अतिथियों और जनता को आमंत्रित किया जाएगा। इस अभिनय के लिए कार्यक्रम संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाएगा और पर्याप्त समय रहते उसकी सूचना उस संस्था को दे दी जाएगी।

15. **ट्रॉफियों/पुरस्कारों का वितरण:** पुरस्कार वितरण समारोह के लिए तारीख, समय और स्थान संसदीय कार्य मंत्रालय निश्चित करेगा। पुरस्कारों का वितरण एक उच्च गण्यमान्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। भाग लेने वाली संस्थाओं तथा ऐसी अन्य संस्थाओं आदि जिन्हें आवश्यक समझा जाएगा, को निमंत्रण पत्र संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा भेजे जाएंगे।

16. **वित्तीय सहायता:** मंत्रालय प्रत्येक विद्यालय को युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए निम्नलिखित मदों पर अधिकतम रू.10,000/- (रूपये दस हजार केवल) की सीमा तक व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा:-

- (i) साउंड सिस्टम;
- (ii) स्टेज तैयार करने के लिए आवश्यक साज-सज्जा, फर्नीचर और बैनर्स;
- (iii) कार्यसूची की मदों इत्यादि के संबंध में पुस्तिका की छपाई; और
- (iv) अल्पाहार दिया जाएगा।

विद्यालय अपने दावे मूल वाउचर्स के साथ शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को प्रस्तुत कर सकते हैं, जो प्रत्येक वर्ष की प्रतियोगिता की समाप्ति पर अनुबंध में दिए अनुसार एक उपयोगिता प्रमाणपत्र मंत्रालय को प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत करेगा, जिस पर कम से कम उप निदेशक (शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामले में)/उप शिक्षा अधिकारी (नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के मामले में) के स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

..... के दौरान आयोजित युवा संसद प्रतियोगिता के संबंध में 'युवा संसद की बैठक' के संचालन में विद्यालयों द्वारा किए गए व्यय पर उन्हें की गई प्रतिपूर्ति के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र

-
1. वित्तीय वर्ष, जिसमें युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया
 2. युवा संसद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यालयों का नाम जिनके लिए दावा किया जा रहा है
 3. विद्यालयों द्वारा दावा की गई प्रतिपूर्ति की राशि और प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तावित स्वीकार्य राशि (विद्यालय-वार और समेकित दोनों)
-

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन ऊपर क्र.सं.2 पर उल्लिखित विद्यालयों में किया गया था।
2. विद्यालयों द्वारा दावा की गई व्यय की प्रतिपूर्ति संसदीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 25.8.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं.22(12)/2006-अ.स. में विनिर्दिष्ट मदों से संबंधित है।
3. संसदीय कार्य मंत्रालय से भुगतान की रसीद प्राप्त होने के एक महीने के भीतर संबंधित विद्यालयों के खाते में प्रतिपूर्ति जमा करवा दी जाएगी और मंत्रालय को तत्पश्चात सूचित कर दिया जाएगा।

नाम

पदनाम

(उप निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/उप शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)